न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 31/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. परथा पिता भेरा (सोलंकी) भील, निवासी बुझड़ा, मृतक के बजाय :–
1/1. श्रीमती डालकी पत्नी स्व. परथा जी, नि0 बुझड़ा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर
1/2. कालू पिता स्व. परथा जी, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
1/3. नारू पिता स्व. परथा जी, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. चुन्नीलाल पिता वरदा सोलंकी, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. रोशनलाल पिता वरदा सोलंकी, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. रामचन्द्र पिता वरदा सोलंकी, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. गोविन्द पित भज्जा जी भील, निवासी बम्बोरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. तुलसीराम पिता गणेश भील, निवासी दर्शन घाटी, गोरेला रोड़, तहसील गिर्वा
7. तखतमल पिता कालूलाल पोरवाल, निवासी 1, शाहपुरा हाउस सब्जी मण्डी, मुखर्जी चौक, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती शान्ताबाई पत्नी तखतमल पोरवाल, निवासी 1, शाहपुरा हाउस सब्जी मण्डी, मुखर्जी चौक, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती मीरा पोरवाल पत्नी राकेश धर्मावत, निवासी 116, मालदास स्ट्रीट, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित :– 1– श्री आलोक जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री प्रणय सनाढ्य अभिभाषक रेस्पो.सं. 5, 6
3– श्री गोपालदास सनाढ्य अभिभाषक रे.सं. 7, 8, 9
4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

———::———

2. प्रकरण संख्या 42/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती शान्ताबाई पत्नी स्व. तखतमल पोरवाल, जाति जैन, निवासी 1, शाहपुरा बड़ी सब्जी मण्डी, मुखर्जी चौक, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मीरा पोरवाल पत्नी राकेश धर्मावत पुत्री स्व. तखतमल पोरवाल, जाति जैन, निवासी 116, मालदास स्ट्रीट, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. गोविन्दराम पित भज्जा मीणा, निवासी बम्बोरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. तुलसीराम पिता गणेश भील, जाति मीणा, निवासी दर्शन घाटी, गोरेला रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. परथा पिता भेरा (सोलंकी) भील, निवासी बुझड़ा, मृतक के बजाय :–

2/1. श्रीमती डालीबाई पत्नी स्व.परथा भील, नि. बुझड़ा, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर

2/2. कालू पिता स्व. परथा भील, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

2/3. नारू पिता स्व. परथा भील, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

3. चुन्नीलाल पिता स्व. वरदा सोलंकी, जाति तेली, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. रोशन पिता स्व. वरदा सोलंकी, जाति तेली, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. रामचन्द्र पिता स्व. वरदा सोलंकी, जाति तेली, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित :– 1– श्रीमती मीरा पोरवाल अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री आलोक जैन अभिभाषक रे. सं. 2/1 से 2/3

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं.1

———::———

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 22–03–2021 प्रकरण संख्या 15/18

———::———

निर्णय **दिनांक 10–10–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175, 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बूझड़ा की जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 के खाता संख्या 373 में आराजी नंबर 308, 309, 310, 326, 329, 330, 334 कुल किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 श्री परथा पिता भेरा सोलंकी (भील) 2/3, विपक्षी संख्या 5 श्री गोविन्द पिता भज्जा मीणा 1/6, विपक्षी संख्या 6 श्री तुलसीराम पिता गणेश भील (गमेती) 1/6 तथा आराजी नंबर 331 व 332 कुल किता 2 रकबा 0.2350 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 श्री परथा पिता भेरा सोलंकी (भील) के नाम दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, जिसने द्वारा उपरोक्त वर्णित आराज़ियात में अपने हिस्से की भूमि का विक्रय विपक्षी संख्या 2 से 4 को कि[illegible] है, जो जाति से तेली होकर सवर्ण जाति के हैं। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 156 व 157

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार अनुसूचित जनाजति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को विक्रय किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरीत होकर अवैध हस्तान्तरण है। इसलिए प्रकरण में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी नंबर 308, 309, 310, 326, 329, 330, 334 कुल किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर में विपक्षी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा एवं आराजी नंबर 331 व 332 कुल किता 2 रकबा 0.2350 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 की कुलिया भूमि को बिलानाम सरकार घोषित किया जावे तथा विपक्षीगण से कब्जा प्रार्थी भूमिधारी को दिलाया जावे।

विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात् विक्रय किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विपक्षी संख्या 2 से 4 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को पैसों की आवश्यकता होने से विपक्षी संख्या 2 से 4 के पिता से पैसे उधार लिये थे, जिसके पेटे लिखापढ़ी की गयी है। विपक्षी संख्या 2 से 4 उस वक्त नाबालिग होने से उनको इस विषय में जानकारी नहीं थी तथा विपक्षी संख्या 1 अनपढ़ होने से अंगूठा लगा दिया। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 से 4 के कब्जे काश्त में कभी भी नहीं रही, कब्जा निरन्तर विपक्षी संख्या 1 का ही चला आ रहा है। इसलिए विपक्षी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

विपक्षी संख्या 5 स 6 ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त आराजी नंबर 308, 309, 310, 326, 329, 330, 334 कुल किता 7 रकबा 1.3500 हैक्टर में 1/3 हिस्सा रूपा पिता देवा भील का थे, जिसने अपना हिस्सा हुरता पिता सवा भील व गंगा पिता मोटा भील को दिनांक 03–09–2002 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया। तत्पश्चात् हुरता व गंगा ने अपना 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 5 व 6 को दिनांक 08–08–2003 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया, जिससे भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज हुई। कृषि भूमि का दिनांक 16–06–2006 को आवासीय रूपान्तरण होने के बाद ही विपक्षी संख्या 5 व 6 ने अपना 1/6, 1/6 हिस्सा दिनांक 14–06–2007 को विपक्षी संख्या 7, 8, 9 को विक्रय किया गया है। इसलिए विपक्षी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जावे।

विपक्षी संख्या 7 से 9 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवदेन किया कि वादग्रस्त आराजियात [illegible] 6 रकबा 1.8400 हैक्टर एवं आराजी नंबर 331 व 332 रकबा 0.2350 हैक्टर [illegible] रूपान्तरण पश्चात् उनके द्वारा क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

की गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र लॉ ऑफ स्टोपल के आधार पर खारिज फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 4 तनकियात कायम की एवं दिनांक 16–12–2008 को प्रार्थी राज्य सरकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात को बिलानाम सरकार दर्ज करने एवं विपक्षीगण को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 5, 6 एवं विपक्षी संख्या 7, 8, 9 द्वारा न्यायालय हाजा में अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा तीनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तीनों का एक ही निर्णय लिखाते हुए दिनांक 12–11–2009 को अपीलें स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभयपक्षों की बहस सुनकर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बयानों के आधार पर दिनांक 08–01–2014 को प्रार्थी तहसीलदार गिर्वा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर विपक्षी संख्या 1 से 9 द्वारा न्यायालय हाजा में अलग अलग अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर न्यायालय हाजा ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 26–12–2017 से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22–03–2021 से प्रार्थी राज्य सरकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करते हुए विपक्षीगण को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर एक अपील प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 1 परथा के वारिस द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 14–06–2021 को प्रस्तुत की गयी, जो अपील संख्या 31/2021 पर दर्ज रजिस्टर की गयी। इसी प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध एक अन्य अपील विपक्षी संख्या 5, 6 तथा 8 व 9 द्वारा दिनांक 21–06–2021 को प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा द्वारा 42/2021 के रूप में दर्ज रजिस्टर की गयी।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपील संख्या 31/2021 के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 जो अपील संख्या 42/2021 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 पर संस्थित हैं, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से उनके अधिवक्तागण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए एवं बहस में भाग लिया। अपीलान्ट श्रीमती शांता बाई व श्रीमती मीरा पोरवाल की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने से तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 15/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–03–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

अपील संख्या 42/2021 में अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि लॉकडाउन के कारण अपील में विलम्ब हुआ है। अतः न्यायहित में विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। दिनांक 19–04–2021 से दिनांक 01–06–21 तक लॉकडाउन था। अतः न्यायहित में देरी को कण्डोन करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

अपील संख्या 31/2021 के अभिभाषक अपीलान्ट जो अपील संख्या 42/2021 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 2/3 के अभिभाषक हैं, ने बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आप न्यायालय के रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है एवं आप न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखे बिना केवल मात्र पटवारी हल्का अम्बालाल के बयान दर्ज कर निर्णय पारित कर दिया, जबकि उसके बयानों से भी यह साबित नहीं होता है कि विवादित आराजियात पर अपीलान्ट का कब्जा न हो। अधिनस्थ न्यायालय का यह मानना कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कब्जे का हस्तान्तरण स्वतः हो जाता है इस आधार पर निर्णय पारित कर दिया, जबकि उक्त बिन्दु को प्रकरण संख्या 8/2009 निर्णय दिनांक 12–11–2009 में आप न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिया गया था, जिसे पुनः अधिनस्थ न्यायालय ने जीवित किया, जिसे आप न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 12/2014 निर्णय दिनांक 26–12–2017 को निर्णित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय को पूर्व में प्रकरण मात्र इस आब्जरवेशन के साथ रिमाण्ड किया गया था कि सन् 1992 से 2002 के बीच उक्त भूमि पर कब्जा किसका था। यदि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं था तो 175 की कार्यवाही अस्तित्व में रहती है और यदि अपीलान्ट का ही कब्जा था तो 175 की कार्यवाही बनती नहीं है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। परन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

वरदा जी से पैसे उधार लिये, जिसकी लिखापढ़ी हुई थी। वक्त लिखापढ़ी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 नाबालिंग थे। विक्रय आवासीय रूपान्तरण के पश्चात् किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में कमिश्नरी रिपोर्ट में कब्जा हमारा माना है। धारा 175 की कार्यवाही के समय भूमि आवासीय रूपान्तरित हो चुकी थी। इसलिए राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं था। हमने बयानों से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 को नाबालिंग साबित किया है। वादी तहसीलदार के बयान नहीं हुए। वादी के बयान नहीं होते हैं तो दावा डिक्री नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम हल्के आबादी दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील संख्या 42/2021 के विद्वान अभिभाषक जो अपील संख्या 31/2021 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5, 6, 8 व 9 हैं, ने वक्त बहस बताया कि विवादित आराजियात का आवासीय रूपान्तरण के पश्चात् उनके द्वारा क्रय किया गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया है एवं न ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12–11–2009 व दिनांक 26–12–2017 को दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक विपक्षी संख्या 7 के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो नल एण्ड वोईड होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी तहसीलदार कभी भी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिससे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों की पुष्टि नहीं होती है। न ही उनके द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, जिससे धारा 42 का उल्लंघन होता हो। वादग्रस्त भूमि दिनांक 16–06–2006 को आबादी में रूपान्तरित हो चुकी थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आप न्यायालय द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है एवं बिना किसी आधार के समस्त भूमि बिलानाम सरकार घोषित कर दी, जो बिना अधिकारिता के होने से स्वतः ही निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक नजीरें RRD 1998 Page 18, RRT 2007 (2) Page 1342 DNJ (SC) 2022 (3) Page 966, RRT 2020 (1) Page 124, RRT 2014 (1) Page 168, RRT 2021 (1) Page 266, RRD 1975 Page 191, RRD 1981 Page 91, RRD 1972 Page 245, RRD 1981 Page 160 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से बहस करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि कृषि आराजियात का अनुसूचित जनजाति से सवर्ण जाति को विक्रय किये जाने के कारण उक्त विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि पुनः बिलानाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

सरकार दर्ज करने का जो आदेश दिया है वह विधि सम्मत है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये पूर्व रिमाण्ड आदेशों एवं न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1981 पेज 91 तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विस्तृत उल्लेख करते हुए अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है ''कि प्रतिवादी संख्या 1 जो जाति से भील हैं के द्वारा वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जो जाति से तेली को विक्रय किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। वादी/प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 सपठित धारा 42 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं प्रश्नगत प्रकरण के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा वादग्रस्त आराजियात का गैर अनुसूचित (तेली) को हस्तान्तरण किया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है।'' उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात बिलानाम सरकार दर्ज करने एवं विपक्षीगण को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया है, जो प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–03–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

परथा के बजाय श्रीमती डालकी पत्नी स्व. परथा भील, निवासी बूझडा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**31/2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**03**.....**2021**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री आलोक जैन**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री गोपाल सनाढ्य/प्रणय सनाढ्य**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–03–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती शान्ताबाई पत्नी तख्तमल पोरवाल निवासी मकान नं. 1, शाहपुरा बड़ी सब्जी मण्डी, मुखर्जी चौक, तह0 गिर्वा व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**42 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**03**.....**2021**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्रीमती मीरा पोरवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री आलोक जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–03–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested